न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 51/17

GCMS NO 2017/00101

बत्तू पुत्र चिरंजी जाति मीना निवासी खण्डीप तहसील वजीरपुर (मृतक)

1/1. समय सिह पुत्र बत्तूलाल
1/2. सियाराम पुत्र बत्तूलाल
1/3. प्रकाश चंद पुत्र बत्तूलाल
1/4. हरिमन पुत्र बत्तूलाल
1/5. रवि पुत्र बत्तूलाल
1/6. हिमांशु पुत्र विजय सिह नाबालिंग जरिये संरक्षक मां मुनेशी देवी पत्नि विजय सिह
1/7 मुनेशी देवी बेवा विजय सिह
1/8. राजन्ती देवी बेवा बत्तू जातियान मीना निवासीयान खण्डीप तहसील वजीरपुर

अपीलांट

बनाम

1. किरोडी लाल पुत्र श्रीलाल जाति मीना निंवासी खण्डीप तहसील वजीरपुर
2. छुटटन लाल पुत्र श्रीलाल जाति मीना निवासी खण्डीप (मृतक)

2/1. भंवर सिह पुत्र छुटटन लाल
2/2. मधूशंकर पुत्र छुटटन लाल
2/3. गिलासी देवी पत्नि छुटटनलाल जातियान मीना निवासीयान खण्डीप तहसील वजीरपुर

रैस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 293/08 निर्णय व डिक्री दिनांक 12.1.11 न्यायालय सहायक कलेक्टर, गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री मोहम्मद इस्लाम
अभिभाषक रैस्पो0 कोई उपस्थित नही।

दिनांक 28.08.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 12.1.11 न्यायालय सहायक कलक्टर, गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा दावा इस्तकरारहक खातेदारी टीनेन्सी इस आशय का पेश किया कि आराजी हाल ख0न0 1015,1016,1017,1020 लगायत 1022 स्थित ग्राम खण्डीप इन खसरा न0 के एकीकरण मे ख0न0 1587/1 था और इसके पूर्व 2682 व 2686 था और स0 1984 मे 2359 व 2362 ख0न0 थे। स0 1984 से तीस साल पहले वादीगण के बुजुर्गान के यहॉ छीतर बल्द दौलत्या ने ये खसरा न0 रहन रखे थे तभी से वादीगण के बुजुर्ग व उनके मरने के बाद वादी इस भूमि पर काबिज खातेदार काश्तकार है। स0 1984 के पहले ही इस भूमि के रहन मुर्तहीन का रिश्त समाप्त हो चुका था परन्तु स0 1984 की मिसल हकीयत मे गलती से रहन ... का इन्द्राज दर्ज हो गयो जो बरकरार चला आ रहा है। प्रतिवादीगण बत्तू का इस जमीन से ... वास्ता नही है। बत्तू चिरंजी का पुत्र है। एकीकरण मे स0 20... बत्तू ने ... मिलकर ... से साज कर छीतर बल्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:13:54 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

दौलत्या मीना के स्थान पर अपना नाम दर्ज करा लिया है जबकि सं0 1991 मे छीतरया बल्द दौलत्या लाऔलाद फौत हो गया था इसलिए भी बत्तू को कोई अधिकार नही है तथा कब्जा वापसी की मियाद भी गुजर चुकी है। इसलिए धारा 63 के तहत बत्तू के खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके है। ख0न0 1586 चाह से इन खेतो की सिचाई वादीगण करते है। धारा 43 (1) रा.टे.एक्ट के तहत भी कब्जा वापसी की मियाद निकल चुकी है। और वादीगण को खातेदारी अधिकार बहुत पहिले ही उत्पन्न हो चुके थे। प्रतिवादी वादीगण को खातेदार मानने से इंकार करते है तथा फसल नष्ट करने की धमकी देता है। इसलिए वादी का दावा डिकी किया जावे कि भूमि हाल बन्दोबस्त ख0न0 1015 रकबा 13 ऐयर, 1016 रकबा 16 ऐयर, 1017 रकबा 12 ऐयर, 1020 रकबा 4 ऐयर, 1021 रकबा 6 ऐयर, 1022 रकबा 12 ऐयर ग्राम खण्डीप का काबिज काश्तकार खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल किया जावे तथा प्रतिवादी का नाम हजफ किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी मे उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे ना ही किसी अन्य से करावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। रेस्पो0 बाबजूद तामिल के उपस्थित नही होने से बहस अपीलांट अधिवक्ता की अपील पर एक पक्षीय सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। अपीलार्थी की प्रोपर तामील कराये बिना ही अपीलार्थी के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही करते हुए अपीलार्थी को सुनवाई का मौका दिये बिना अपीलार्थी के विरूद्व एक तरफा मे निर्णय पारित कर दिया जो खारिज किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि अपीलार्थी विवादित भूमि का खातेदार टीनेन्ट है तथा कब्जा अपीलार्थी का आज भी है। रेस्पो0 का उक्त आराजीयात पर कोई कब्जा काश्त नही है। ना ही कभी रहा है। इसके बाबजूद अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर दावा डिकी करने मे कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि रेवेन्यू रिकार्ड मे जो इन्द्राज मुर्तहीन का दर्ज चला आ रहा है वह रेवेन्यू कर्मचारियो की गलती के कारण ही दर्ज है। जबकि अपीलार्थी की उक्त भूमि कभी भी रेस्पो0 के यहॉ मुर्तहीन नही रही है। छीतर पुत्र दौलत्या अपीलार्थी का बाबा था जो लाऔलाद फौत हुआ था इसलिए अपीलार्थी ही उनका एक मात्र वारिस है छीतर पुत्र दौलत्या की चल अचल सम्पति पर अपीलार्थी ही काबिज है। अदालत मातहत द्वारा बिना किसी आधार के रेस्पो0 के मुर्तहीन मानकर उनके हक मे खातेदारी दर्ज करने के आदेश देने मे कानूनी भूल की है। जबकि रेस्पो0 कभी भी भूमि के मुर्तहीन नही थे। रेस्पो0 अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिकी के आधार पर अपीलार्थी की खातेदारी भूमि को अपने नाम दर्ज कर अपीलार्थी को बेदखल करने की धमकी दे रहे है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक तरफा निर्णय व डिक्री की जानकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:54 IST
Reason: Self Attested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अपीलार्थी को नही थी । दिनांक 10.7.17 को राजस्व अभियान मे हल्का पटवारी ने अपीलार्थी को उक्त निर्णय के बारे मे बताया तब जाकर अपीलार्थी को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। इस प्रकार जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर अपील जानकारी के आधार पर अन्दर मियाद पेश की गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक तरफा निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावे।

अपीलांट अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की निर्णय का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि मुताबिक खतौनी बंदोबस्त प्रदर्श पी–3 अनुसार भूमि साबिक ख0न0 2682 व 2686 छीतर वल्द दौलत्या कोम मीना सा.देह राहिन फौजी बल्द ततैया कोम मीना सा0देह मुर्तहीन दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी खेवट खतौनी 2028 से 2032 मे भूमि ख0न0 1587/1 प्रदर्श–5 मे बत्तू खातेदार राहिन फौजी पुत्र ततइया कोम मीना सा.देह मुर्तहीन दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2034 से 2047 ग्राम खण्डीप के ख0न0 1015 रकबा 13 ऐयर, 1016 रकबा 16 ऐयर, 1017 रकबा 12 ऐयर, 1020 रकबा 4 ऐयर, 1021 रकबा 6 ऐयर, 1022 रकबा 12 ऐयर ग्राम खण्डीप मे बतौर खातेदार बत्तू पुत्र चिरंजी मीना सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट ने छीतर बल्द दौलत्या को अपना बाबा बताया है। छीतर बल्द दौलत्या लाऔलाद फौत होना बताया है एवं छीतर पुत्र दौलत्या एक मात्र वारिस अपीलांट को बताया है। जबकि वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजीयात से धारा 63 मे तहत अपीलांट के खातेदारी अधिकार समाप्त होना मानकर एवं धारा 43 (4) रा.टे.एक्ट के तहत खातेदारी अधिकार समाप्त मानते हुए ही वाद पेश किया गया था। चूकि हस्तगत प्रकरण मे विवादित आराजीयात के बाबत राजस्व रिकार्ड अपीलांट के बाबा छीतर पुत्र दौलत्या मीना के नाम दर्ज है। छीतर पुत्र दौलत्या के विधिक वारिसान अपीलांट का विवादित आराजीयात के सबंध मे साक्ष्य सुनवाई का अवसर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदान नही किया गया है। जबकि किसी रिकार्डेड खातेदार के खातेदारी अधिकार बिना साक्ष्य सुनवाई के समाप्त विधि अनुसार समाप्त नही किये जा सकते है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक पक्षीय निर्णय व डिक्री विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलांट रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 293/08 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.1.11 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को विधिवत रूप से साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अपीलांट को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 29.9.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को लिखाया जाकर इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:54 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner